दिनांक 19 मई, 2016 को आयोजित विद्वत्परिषद् की पंचम बैठक का कार्यवृत्त।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली की विद्वत्परिषद् की पंचम बैठक दिनांक 19 मई, 2016 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में वाचस्पति सभागार में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए।

1.	प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय	अध्यक्ष
2.	प्रो. रामानुज देवनाथन्	सदस्य
3.	डॉ. बिट्ठलदास मूँधड़ा	सदस्य
4.	प्रो. रमेश प्रसाद पाठक	सदस्य
5.	प्रो. हरिहर त्रिवेदी	सदस्य
6.	प्रो. महेश प्रसाद सिलोड़ी	सदस्य
7.	प्रो. भागीरथि नन्द	सदस्य
8.	प्रो. नागेन्द्र झा	सदस्य
9.	प्रो. प्रेम कुमार शर्मा	सदस्य
10.	प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी	सदस्य
11.	प्रो. कमला भारद्वाज	सदस्य
12.	प्रो. एस.एन. रमामणि	सदस्य
13.	प्रो. जयकान्त शर्मा	सदस्य
14.	प्रो. सुदीप कुमार जैन	सदस्य
15.	प्रो. शुद्धानन्द पाठक	सदस्य
16.	प्रो. शुकदेव भोई	सदस्य
17.	प्रो. हरेराम त्रिपाठी	सदस्य
18.	प्रो. केदार प्रसाद परोहा	सदस्य
19.	प्रो. बिहारी लाल शर्मा	सदस्य
20.	प्रो. विनोद कुमार शर्मा	सदस्य
21.	प्रो. रचना वर्मा मोहन	सदस्य
22.	प्रो. जय कुमार एन.उपाध्ये	सदस्य
23.	डॉ. यशवीर सिंह	सदस्य
24.	डॉ. रजनी जोशी चौधरी	सदस्य
25.	डॉ. के. भारत भूषण	सदस्य
26.	डॉ. शीतला प्रसाद शुक्ल	सदस्य
27.	डॉ. वृन्दावन दास	सदस्य
28.	डॉ. अनेकान्त जैन	सदस्य
29.	डॉ. विष्णुपद महापात्र	सदस्य
30.	डॉ. सुधांशु भूषण पण्डा	सदस्य
31.	डॉ. गोपाल प्रसाद शर्मा	सदस्य

32	डॉ. रविशंकर शुक्ला	सदस्य
33	डॉ. मीनाक्षी मिश्र	सदस्य
34	डॉ. विमलेश शर्मा	सदस्य
35	डॉ. बी.के.महापात्र	सचिव
36	डॉ. दिनेश	विशेष आंमत्रित सदस्य
37	डॉ. शिवदत्त त्रिपाठी	विशेष आंमत्रित सदस्य

प्रो. हरिहर त्रिवेदी द्वारा मंगलाचरण के साथ ही बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई । कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत करते हुये यह स्पष्ट किया गया कि विद्यापीठ की जो गौरवमयी परंपरा रही है । उसमें विद्यापीठ के आचार्यकुल का महत्वपूर्ण योगदान है। विद्वत्परिषद् के उत्तरदायित्व एवं प्रकार्यों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया कि विद्यापीठ द्वारा पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, उन्हें क्रियान्वयन के स्तर पर लाना, परीक्षाएं कराना, उच्च शैक्षणिक शोध योजनाएं बनाना तथा उनकी स्वीकृति करना विद्वत्परिषद् का मुख्य दायित्व है। यह परिषद् शैक्षणिक क्षेत्र में सर्वोच्च मानी जाती है । जिसके प्रस्ताव को गंभीरता पूर्वक प्रबंध मण्डल एवं अन्य समितियां देखती हैं। कुलपति महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली को सर्वप्रथम स्नातक स्तर पर विद्यापीठ द्वारा लागू किया जा चुका है। आचार्य, विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि स्तर पर विकल्पाधारित क्रेडिट व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। पुनश्च कुलपति महोदय द्वारा बैठक में आये हुये प्रो.आर. देवनाथन् जी, भूतपूर्व कुलपति एवं डॉ. बिट्ठलदास मूँधड़ा का अभिनन्दन किया गया । कुलपति महोदय द्वारा विशेषकार्याधिकारी (प्रशासन) डॉ. शिवदत्त त्रिपाठी को यह निर्देश दिया गया कि वह विद्वत्परिषद् की पंचम बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची के प्रत्येक मद को प्रस्तुत करें, जिससे उपस्थित सदस्य उस पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त अपना सुझाव एवं निर्णय कर सकें। तदनुसार कार्यसूची के प्रत्येक मद को प्रस्तुत किया गया और गहन विचार-विमर्श के अनन्तर सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये ।

कार्यक्रम संख्या ५.१ विद्वत्परिषद की दिनांक 5-10-2015 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

विद्वत्परिषद् की दिनांक 5.10.2015 को सम्पन हुई चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई ।

कार्यक्रम संख्या ५.२ विद्वत्परिषद् की दिनांक 5-10-2015 को सम्पन्न हुई चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन ।

विद्वत्परिषद् की दिनांक 5.10.2015 को सम्पन्न हुई चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वन्यन सम्बन्धी विवरण को क्रमवार सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया । कुलपति महोदय द्वारा यह भी सूचित किया गया कि विगत दीक्षान्त समारोह में मानद उपाधि प्राप्त करने के लिए दो विद्वान उपस्थित नहीं हो पाये उन्हें उक्त उपाधियां यथाशीघ्र प्रदान की जायेगीं । Mooc के सम्बन्ध में कुलपति महोदय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ई-पीजी पाठशाला में विशेष योगदान करने वाले विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भेजा गया है जिन्हें प्रशिक्षण के लिए 24 मई, 2016 को अहमदाबाद में आमंत्रित किया गया है ।

अन्तर्गत साहित्यशास्त्र, साहित्य, वेद, दर्शन (सामान्य परिचय), दर्शन के परिचात्मक ग्रंथ, न्यायशास्त्र परिचय, एवं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से सम्बन्धित विषयों में मूक्स कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा जिसके लिये प्रो. भागीरथि नन्द, प्रो.रमेश कुमार पाण्डेय, डा. सुन्दरनारायण झा, डा. जवाहरलाल डा. सुदर्शन, प्रो. हरेराम त्रिपाठी, डा. के. सतीश के नाम आयोग को प्रेषित किये गये हैं। उक्त पाठ्यक्रम के निर्माण में विद्वानों द्वारा ई-पीजी पाठशाला हेतु निर्मित विषय-वस्तु का भी उपयोग किया जायेगा। आवश्यकतानुसार अन्य विद्वानों का नाम भी भेजा जा सकता है । तदनन्तर सम्बन्धित प्रतिवेदन एवं 'मूक्स' प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

कार्यक्रम संख्या ५.३ शैक्षणिक सत्र २०१५-१६ में समय-समय पर संकाय प्रमुखों एवं अन्य शैक्षणिक समितियों की बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि।

शैक्षणिक सत्र 2015-16 में शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालन करने हेतु संकाय-प्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों की निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-समय पर बैठकें सम्पन्न की गई ।

1. दिनांक 11.02.2016 को आयोजित बैठक ।
2. दिनांक 12.04.2016 को आयोजित बैठक ।
3. दिनांक 22.04.2016 को आयोजित बैठक ।
4. दिनांक 11.05.2016 को आयोजित बैठक ।
5. दिनांक 17.05.2016 को आयोजित बैठक ।

शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु संकाय-प्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों की समय-समय पर सम्पन्न बैठकों में लिए निम्नलिखित निर्णयों की विद्वत्परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

1. भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया कि संकाय प्रमुख अपने संकाय के लिए कम से कम 10 छात्र-छात्राओं से युक्त पारिस्थितिकी क्लब का गठन करेंगे और उसके संरक्षक होंगे। पारिस्थितिकी क्लब के सदस्यों का दायित्व होगा कि वे इस सम्बन्ध में प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगें, जिसमें उर्जा संरक्षण,जल संरक्षण, जैवविविधिता संरक्षण, कूड़ा प्रबन्धन इत्यादि कार्य सम्मिलित है।साथ ही साथ जागरूकता अभियान चलायेंगे, उपर्युक्त विषयों पर वाद-विवाद प्रतियोगित का आयोजन, लेख प्रस्तुतीकरण और प्रकाशन आदि में भाग लेंगे और अन्य छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करेंगे।
2. स्वच्छता, मल और द्रवीय अषशिष्ट प्रबन्धन पर आधारित पाठ्यक्रम को पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना है। इस विशेष पाठ्यक्रम को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर लागू किया जाना है।
3. अगले वर्ष अभिनवगुप्तसहस्त्राब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए संस्कृत सप्ताह के अन्तर्गत छात्रों द्वारा अभिनवगुप्त के जीवन चरित्र पर एक संस्कृत नाटक के मंचन का निर्णय किया गया । इस नाटक के पाठलेखन का कार्य प्रो.अभिराज राजेन्द्र मिश्र, पूर्व कुलपति,सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय करेंगे, जिसका प्रकाशन विद्यापीठ द्वारा किया जायेगा तथा समुचित मानदेय उन्हें प्रदान किया जायेगा।
4. संस्कृत सप्ताह के अन्तर्गत दिल्ली के विद्यालयों के छात्रों के लिये अभिनवगुप्तकृत स्तो पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा।

5. शोधप्रभा का अक्टूबर, 2016 का अंक अभिनवगुप्त विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जायेगा।
6. अभिनवगुप्त के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक लोकप्रिय व्याख्यान का आयोजन दिसम्बर, 2016 में किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न बैठकों में संस्तुत एवं अवशिष्ट शैक्षणिक क्रियाकलापों से सम्बन्धित नीतिगत सुझावों को क्रियान्वित किया जाए और वित्तीय तथा प्रशासनि संस्तुतियां, वित्त समिति और प्रबन्ध मण्डल को विचारार्थ एवं आवश्यक निर्णयार्थ प्रेषित की जाएं।
7. विद्यापीठ परिसर में संस्कृतमय वातावरण बनाने के लिये यह आवश्यक है कि संस्कृत भाषा को अधिक व्यवहारिक बनाया जाय । प्रथम चरण में दिन प्रतिदिन की बोलचाल में संस्कृत के प्रयोग हेतु अध्यापकों एवं छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए। विद्यापीठ के अंदर एक ऐसा परिवेश तैयार किया जाय जिसके अन्तर्गत सभी लोग संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप करें।
8. शास्त्रों को सरल मानक संस्कृत में पढ़ाने के लिये अध्यापकों को प्रेरित किया जायं । इसे दृष्टि में रखते हुये संस्कृत भाषा की उपयोगिता एवं सरल मानकीकरण हेतु अध्यापकों के लिये दो सप्ताह की कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है।
9. उपलब्ध पाण्डुलिपियों के अध्ययन, प्रकाशन, शिक्षण एवं अनुसंधान हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाया जाना चाहिये । पाण्डुलिपियों पर शोध कार्य को प्रात्साहित किया जाना चाहिये ।
10. विद्यापीठ में सेतु पाठ्यक्रम (Bridge Course) आरम्भ करने की योजना तैयार की जाये।
11. शिक्षाशास्त्र विभाग में गैर संस्कृत विषयों यथा समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र को भी संस्कृत भाषा के माध्यम से पढ़ाने पर बल दिया जाए तथा इसे क्रियान्वित करने की दिशा में योजना बनाने हेतु संकाय प्रमुख को अधिकृत किया जाय।
12. वर्ष 2017-2018 की संस्कृत वर्ष मनाये जाने के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि वर्षभर कार्यशाला/ संगोष्ठी आदि कार्यक्रमों को आयोजित किया जाय ।
13. संस्कृत भाषा को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए विद्यापीठ में प्रात: काल एवं सांय काल में संस्कृत सीखने वालों के लिए निशुल्क मौलिक प्रशिक्षण एवं सम्भाषण की योजना बनाई जाय। विद्यापीठ के कर्मचारियों और आस-पास के क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए प्रति वर्ष 01 जुलाई, से 15 जुलाई, तक संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन निम्नलिखित सदस्यों की समिति द्वारा किया जायेगा।
    1. डा. के. सतीशा
    2. डा. सुन्दर नारायण झा
    3. डा. रामानुज उपाध्याय
14. शास्त्री प्रथम वर्ष में छात्रों की संख्या में वृद्धि हेतु जिन छात्रों के पास बारहवीं कक्षा में संस्कृत विषय नहीं था उनको प्रवेश परीक्षा का माध्यम हिन्दी भाषा भी रखा जाये। प्रवेश होने के उपरान्त ऐसे छात्रों को संस्कृत भाषा की जानकारी हेतु विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जाय । जिससे अगले वर्ष की परीक्षा संस्कृत माध्यम से दे सकें।
15. समस्त संकाय प्रमुख अपने संकाय के अन्तर्गत श्री एन.गोपाला स्वामी समिति की संस्तुतियों के अनुरूप संस्कृत भाषा के विकास के लिए परियोजनाओं का प्रारूप तैयार कर विचार हेतु एक माह के अन्दर कुलपति महोदय को प्रस्तुत करें।
16. प्रत्येक माह के अन्तिम-कार्यदिवस को अपराह्न में(2.00 से 5,00 बजे तक पूर्ण कर) सभी अध्यापक अपनी कक्षा छात्रों की उपस्थिति सम्बन्धी उपस्थिति पत्रक उसी दिन विभागाध्यक्ष के पास जमा कर देंगें जिन्हें विभागाध्यक्ष अपनी टिप्पणी के साथ संकायप्रमुख कार्यालय में अगले माह के प्रथम कार्यदिवस में

निश्चित रूप से जमा करवा दें तथा सभी संकाय प्रमुख शैक्षणिक विभाग में उपस्थिति रिकार्ड को अधिकतम प्रत्येक माह की दूसरे कार्य-दिवस तक अवश्य प्रेषित करें।

17. प्रत्येक माह के लिये संकाय प्रमुख कार्यालय द्वारा यह अभिलेखबद्ध किया जायेगा कि संकाय स्तर पर व उसके विभागों द्वारा कौन-कौन सी कार्यशालाएं / संगोष्ठियाँ / व्याख्यानमालाएं/विशेष व्याख्यान आयोजित किये गये हैं तथा इस अवधि में विभागस्थ अध्यापकों द्वारा किन पुस्तकों/लेखों आदि का प्रकाशन किया गया और अन्य क्या-क्या गतिविधियाँ सम्पन्न की गयीं। संकाय प्रमुख निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिमाह मासिक शैक्षणिक क्रिया-कलाप सम्बन्धी प्रतिवेदन शैक्षणिक अनुभाग एवं आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ को प्रेषित करेंगे ।

18. प्रशासन अनुभाग द्वारा अवकाश-हेतु जितने आवेदन-फार्म हैं उनमें आवश्यक-सुधार किये जायें। अवकाश के साथ-साथ यदि कोई भी अध्यापक/कर्मचारी अवकाश के दिन भी स्टेशन छोड़ता हैं, तो इसकी सक्षम-अधिकारी से स्वीकृति आवश्यक है ।

19. प्रत्येक माह में संकाय-प्रमुख अपने विभागों से सम्बन्धित अध्यापकों के साथ एक बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें विभागों एवं अध्यापकों से सम्बधित समस्याओं का विवेचन करते हुये नियमानुसार उन्हें दूर करने के लिये आवश्यक प्रयास करेंगे । संकायप्रमुख और विभागाध्यक्ष संयुक्त रूप से विभागीय प्रगति की प्रतिमाह समीक्षा करेंगे और कुलपति को सूचित करेंगे।

20. शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग में संकल्पित शोधसंगोष्ठी/कार्यशाला/व्याख्यानमाला इत्यादि का प्रारूप एवं अनुमानित-बजट शीघ्रातिशीघ्र संकायप्रमुख के माध्यम से विकास एवं शैक्षणिक अनुभागों को उपलब्ध करायेंगे।

21. विकल्पाधारित प्रणाली के अनुरूप एम. फिल. एवं आचार्य तथा पीएच.डी. के पाठ्यक्रम का निर्माण करने हेतु एक मॉडल तैयार किया जाए । प्रत्येक विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुसरण में विद्यापीठ में विकल्प आधारित क्रेडिट-व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रेडिंग-व्यवस्था शास्त्री पाठ्यक्रम की तरह आचार्य एवं एम.फिल. तथा पीएच.डी. पाठ्यक्रम भी अद्यतन कर लागू करने के लिये आवश्यक विवरण संकलित करे। विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुसार आचार्य एवं विशिष्टाचार्य और पीएच.डी. के लिए मॉडल पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति का पुनः गठन किया जाता है ।

22. विद्वत्परिषद को यह सूचित किया गया कि इस समिति की बैठक सम्पन्न हो चुकी है । और माडल पाठ्यक्रम भी तैयार किया जा चुका है जिसके अनुसार प्रत्येक विभाग अपने अध्ययन मण्डल की बैठक बुलाकर पाठ्यक्रम को अद्यतन करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 12बीं के नियमों के परिप्रेक्षय में आधुनिक विषयों के अध्यापन एवं विद्यापीठ के विभिन्न विभागों के पुंनर्गठन की योजनाके अनुसार आधुनिक विषयों के लिए विभाग स्थापित करने हेतु सम्बन्धित विभाग / विषय की स्थापना हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर कुलपति महोदय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करें और एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर पुनर्गठन का कार्य सम्पन्न किया जाए। तदनुसार कार्यवाही की जा चुकी है जो विद्वत्परिषद के विचारार्थ अलग से प्रस्तुत की गई है ।

23. योग, आयुर्वेद, संगणक विज्ञान, पालि भाषा और बौद्ध दर्शन जैसे क्षेत्रों के लिए नये विषय के अध्यापन करने पर सम्बन्धित संकायाध्यक्ष उपरोक्त विषयों के सन्दर्भ में पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें। इस सम्बन्ध में सभी संकाय प्रमुख अपने विभागों के अध्यक्षों की समिति गठित कर प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में भी पृथक् से प्रस्ताव रखा गया है।

24. संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14/03/2016 को कुलपति महोदय को प्रेषित पत्रक श्री गोपालास्वामी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संस्कृत के विकास के लिए 10 वर्षीय प्रस्तावित योजना की रिपोर्ट में दी गयी है । समिति की संस्तुतियों को विद्यापीठ में लागू किये जाने वाले बिन्दुओं पर विचार हेतु कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 12/04/2016 को अपराह्न 2.30 बजे शैक्षणिक सदन के समिति कक्ष (संख्या-3) में आयोजित की गई थी। साथ ही साथ केन्द्रीय संस्कृत परिषद् के कार्यवृत्त में निहित संस्तुतियों पर भी विचार किया गया। समितियों की संस्तुतियों को अनुपालन हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये ।

25. विद्वत्परिषद के समक्ष यह स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया कि श्री विनय कौशिक, शोध छात्र अन्य कुछ छात्रों के साथ बिना अनुमति के बैठक कक्ष (वाचस्पति सभागार) में कई बार प्रवेश करने तथा बैठक में बाधा डालने का प्रयास किया गया। अन्तत: कुलपति महोदय ने श्री विनय कौशिक एवं अन्य छात्रों को बातचीत के लिये समिति कक्ष में बुला लिया । श्री विनय कौशिक ने योग डिप्लोमा सम्बन्धी स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम की परीक्षा में उपस्थिति कम रहने पर भी श्री आकाश रूबल को परीक्षा की अनुमति प्रदान करने के लिये दबाव डालते हुये माननीय कुलपति के समक्ष अभद्र भाषा का प्रयोग किया और बैठक के कार्य को भी बाधित किया। श्री विनय कौशिक ने नियम विरुद्ध कार्य करने के लिय केवल दबाव बनाने का प्रयास किया अपितु अनावश्यक रूप से की गई । परिणामत: बैठक की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। कक्ष से बाहर जाते समय कुलपति महोदय के साथ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया । बैठक में उपस्थित सदस्यों का अनुरोध था कि श्री विनय कौशिक, शोध छात्र एवं श्री आकाश रूबल, के द्वारा की गई अनुशासनहीनता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जाए, क्योंकि यह शैक्षणिक कार्यों में बाधा पहुँचना ही नही अपितु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के ख़तरे को रोकने के अधिनियम 2009 के अनुसार एक दण्डनीय अपराध है ।

कार्यक्रम संख्या ५.४ **शैक्षणिक सत्र २०१५-१६ के प्रथम सत्र की परीक्षा के परिणाम की पुष्टि**

शैक्षणिक सत्र 2015-16 के प्रथम सत्र की परीक्षा के परिणाम घोषित करने हेतु गठित परीक्षा मण्डल की बैठक आहूत की गई थी जिसमें शास्त्री, आचार्य, विशिष्टचार्य, शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, प्रमाण-पत्रीय एवं डिप्लोमा पाठयक्रमों की परीक्षाओं के परिणाम की स्वीकृति के साथ-साथ उन्हें घोषित करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार परीक्षा परिणाम घोषित किये जा चुके हैं । परीक्षा मण्डल के समस्त निर्णय यथावत लागू किये जा चुके हैं। परीक्षा मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयों और परीक्षा परिणाम को विद्वत्परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यसूची ५.५ **शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ में विभिन्न पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु प्रस्तावित शैक्षणिक नियम परिचायिका में निहित प्रावधानों एवं नियमों की स्वीकृति।**

शैक्षणिक सत्र 2016-17 शैक्षणिक नियम परिचायिका तैयार के अन्तर्गत विभिन्न नियमों और प्रावधानों हेतु गठित समिति द्वारा निर्मित शैक्षणिक नियय परिचायिका एवं अन्य संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयों की पुष्टि करते हुए कुलपति महोदय की स्वीकृति के उपरान्त शैक्षणिक नियम परिचायिका का मुद्रण

कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। समिति द्वारा संस्तुत प्रावधानों एवं नियमों को शैक्षणिक नियम परिचायिका में सम्मलित किया गया है। विद्वत्परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से शैक्षणिक सत्र 2016-17 की शैक्षणिक नियम परिचायिका को स्वीकृति प्रदान की गई। विद्वत्परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विद्यापीठ के समस्त नियमित छात्र "छात्रकल्याण परिषद्" के सामान्य सदस्य होंगे और छात्रकल्याण परिषद् का गठन प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में ही किया जाय ।

कार्यक्रम संख्या ५.६ शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ के लिए निर्मित शैक्षणिक कैलेण्डर की स्वीकृति।

शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए शैक्षणिक कैलेण्डर तैयार करने हेतु गठित समिति के अनुशंसाओं के अनुसार सम्बन्धित विभागों से प्राप्त शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों के विवरण के आधार पर शैक्षणिक कैलेण्डर तैयार किया जा चुका है। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार ही संचालित की जायं। विद्वत्परिषद् द्वारा शैक्षणिक कैलेण्डर का अवलोकन करने पश्चात वह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति सेमेस्टर में कुल 90 शैक्षणिक दिवस होना अनिवार्य है अतः विद्वत्परिषद् द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया कि वे शैक्षणिक कैलेण्डर तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा शैक्षणिक कैलेण्डर में संशोधन कर स्वीकृति हेतु पुनः प्रस्तुत करने पर स्वीकृति दें । कुलपति महोदय की स्वीकृति के पश्चात् संशोधित शैक्षणिक कैलेण्डर समस्त विभागों को अनुपालन हेतु प्रेषित किया जाय ।

कार्यक्रम संख्या५.७ शैक्षणिक सत्र २०१५-१५ में विद्यावारिधि में पंजीकरण हेतु आयोजित शोध मण्डल की बैठक के कार्यवृत्त की स्वीकृति।

शैक्षणिक सत्र 2015-16 में शोध मण्डल की बैठक दिनांक 22 एवं 23 दिसम्बर, 2015 एवं दिनांक 16 फरवरी, 2016 को आयोजित की गई शोध मण्डल की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार 53 शोधच्छाओं को विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में विभिन्न विभागों में पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तदनुसार 53 छात्र को वर्ष 2015-2016 में विद्यावारिधि के लिए पंजीकृत किये गये हैं । विद्वत्परिषद द्वारा सभी शोध छात्रों को विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में पंजीकरण की पुष्टि की गई।

कार्यक्रम संख्या ५.८ केन्द्रीय शोध समीक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की स्वीकृति।

विद्वत्परिषद की दिनांक 21 अप्रैल, 2015 को आयोजित तृतीय बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार समस्त संकायों की विभागीय शोध समीक्षा समिति का गठन किया जा चुका है। वेद वेदांग संकाय, साहित्य एवं संस्कृति संकाय और दर्शन संकाय द्वारा अपने-अपने संकाय में पंजीकृत शोध छात्रों की शोध प्रगति की समीक्षा एवं शोध की गुणवत्ता में वृद्धि इत्यादि की समीक्षा हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

1. वेद-वेदांग संकाय- दिनांक 21.01.2016
   दिनांक 03एवं 04 मार्च, 2016
   दिनांक 21.03.2016

2. साहित्य एवं संस्कृति दिनांक 29.3.2016

विद्वत्परिषद् द्वारा शोध समिति की बैठकों में शोध प्रगति की समीक्षा एवं शोध गणुवत्ता में वृद्धि इत्यादि हेतु लिए गये निर्णयों की पुष्टि की गई जो निम्नलिखित है:-

01. शोध निर्देशक के पास प्रत्येक शोधच्छात्र का प्रगति पंजिका रखी जायेगी, जिसमें उनके निर्देशन में कार्यरत शोधार्थी के त्रैमासिक प्रगति विवरण की प्रतिलिपि का होना अपेक्षित है । प्रगति विवरण पुष्टि के अनन्तर ही शोधच्छात्र का शोध प्रबन्ध विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसाहित किया जाएगा । शोच्छात्र के तीन मास तक बिना किसी स्वीकृति के अनुपस्थित रहने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा ।

02. प्रत्येक शोच्छात्र को प्रतिमास न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अंकित अनिवार्य होगी, जिसके लिए विभागाध्यक्ष कार्यालय में उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा ।

03. प्रत्येक शोध छात्र के अपने पूर्ण शोध-कार्यकाल में अपना त्रैमासिक विवरण कार्यालय में निर्धारित समय से जमा कराना अनिवार्य होगा ।

04. सत्रीय पाठ्यक्रम में भी छात्र की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है ।

05. प्रत्येक अनुसन्धाती के लिए विद्यापीठ द्वारा समय-समय पर आयोजित संगोष्ठियों तथा व्याखानों में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है एवं शोधावधि में कम से कम दो शोध-निबन्ध संगोष्ठियों में मौलिक शोध-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

06. न्यूनतम एक शोधलेख अपने शोध विषय से सम्बद्ध किसी ISSN नम्बर प्राप्त प्रतिष्ठित शोधपत्रिका में प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा । समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन शोध छात्रों द्वारा अपने विषय से सम्बन्धित अभी तक कोई शोध लेख प्रकाशित नहीं करवा वे शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित करवा कर अपने मार्गनिर्देशक को सूचित करें ।

07. समस्त शोध छात्रों को उनके द्वारा किये गये शोध कार्य के मूल्याकंन एवं समीक्षा के लिये शोध समीक्षा समिति की अलगी बैठक में बुलाया जाय । शोध समीक्षा के समक्ष शोध छात्र द्वारा कृतकार्य का विवरण तथा आगामी शोध योजना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि शोध छात्र लगातार दो समीक्षा बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो यह मान लिया जायेगा कि उसके शोध में कोई प्रगति नहीं है और वह शोध कार्य में अभिरूचि नहीं रखता, ऐसी स्थिति में आवश्यक कार्यवाही हेतु जिसमें नामांकन निरस्तीकरण भी सम्मिलित है, कुलपति महोदय को प्रेषित किया जा सकता है । यदि यह पाया जाता है कि शोध छात्र का शोधकार्य सन्तोषजनक नहीं है तो शोध समीक्षा समिति की रिर्पोट के आधार पर उसका पंजीकरण भी निरस्त किया जा सकता है ।

08. जिन शोध छात्रों का कार्य विलम्बित पाया गया, उनके शोध निर्देशक को सुझाव दिया गया है कि वे अपने विभाग के शोध छात्रों के शोध कार्य में तीव्रता लाने हेतु शोधच्छात्र को उचित सुझाव एवं निर्देश दें ।

कार्यक्रम संख्या ५.९ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय का नाम शिक्षा संकाय रखने का प्रस्ताव ।

संकाय प्रमुख आधुनिक ज्ञान-विज्ञान द्वारा दिनांक 28.04.2016 को दिये गये प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त विद्वत्परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय का नाम परिवर्तन कर शिक्षाशास्त्र संकाय रखने की स्वीकृति प्रदान की गई । इस सम्बन्ध में प्रशासन विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी किया जाये।

कार्यक्रम संख्या ५.१० महिला अध्ययन केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ''सक्षम योजना'' के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को 'लैगिंक संवेदीकरण' (Gender Sensitization) से सम्बन्धित किसी पाठ्यक्रम या कार्यशाला में अवश्य भाग लेना चाहिए । इस संदर्भ में वर्तमान में विद्यापीठ का महिला अध्ययन केन्द्र पहले से ही निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

-शिक्षाशास्त्री की कक्षाओं हेतु 10 दिवसीय फाउन्डेशन कार्यक्रम।

-शिक्षाचार्य की कक्षा हेतु एक दिवसीय जेंडर संवेदीकरण कार्यशाला।

सक्षम योजना को ध्यान में रखते हुए भविष्य मे अन्य विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किये जा सकते हैं।

1. शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों हेतु शिक्षाशास्त्री की कक्षाओं की भांति दस कार्य दिवसीय फाउन्डेशन कोर्स ।
2. आचार्य एवं विशिष्टाचार्य की कक्षाओं हेतु शिक्षाचार्य की कक्षा की भांति एक दिवसीय लैगिक संवेदीकरण कार्यशाला ।
3. विद्यावारिधि के विद्यार्थियों हेतु एक सप्ताह का (पांच कार्य दिवसीय) फाउन्डेशन कोर्स ।

विद्वत्परिषद् द्वारा महिला अध्ययन केन्द्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यक्रम संख्या ५.११ विभागाध्यक्ष प्राकृत विभाग द्वारा प्रेषित आचार्य, विशिष्टाचार्य, प्रमाणपत्रीय, डिप्लोमा एवं एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम विद्वत्परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ।

प्राकृतभाषा विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रीय एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम को लागू करने हेतु विद्वत्परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई । यह पाठ्यक्रम अन्य विभागों द्वारा संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यकक्रमों के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनरूप ही संचालित होगा।

आचार्य, विशिष्टाचार्य, कक्षा के पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित विकल्पधारित प्रणील के मापदण्डों के अनुसार पुनः तैयार कर प्राकृत विभाग के लिए गठित अध्ययन मण्डल की स्वीकृति के पश्चात कुलपति महोदय की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाये।

कार्यक्रम संख ५.१२ विभागाध्यक्ष न्याय-वैशेषिक द्वारा प्रेषित निम्नलिखित प्रस्ताव विद्वत्परिषद् की स्वीकृति हेतु ।

86

1. शास्त्री प्रथम सत्र (नव्यन्याय) द्वितीय पत्र ''तर्कामृतम्-चषक'' टीका सहितम् के स्थान पर ''तर्कभाषा'' ग्रन्थ को रखा जाए।
3. शास्त्री प्रथम वर्ष के बच्चों की योग्यता के अनुरूप ''तर्कभाषा'' ग्रन्थ की उपादेयता अधिक होने से ''चषक-टीका सहित तर्कामृतम्'' को जुलाई, 2016 से हटाया जाए।
4. वर्तमान शास्त्री कक्षा के मानक के रूप ''तर्कभाषा'' ग्रन्थ का भी मानक तैयार कर आगामी विद्वत्परिषद् में उपस्थापित किया जाए।

विद्वत्परिषद् द्वारा अवगत करा गया कि नवीन पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम में संशोधन आदि की प्रक्रिया प्रत्येक विभाग के लिए गठित अध्ययन मण्डल के अधिकार क्षेत्र में आती है। न्याय - वैशेषिक विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विभाग में नवीन पाठ्यक्रम में संशोधन करने हेतु विभागीय अध्ययन मण्डल की बैठक सम्पन्न करवाकर बैठक का कार्यवृत्त स्वीकृति हेतु कुलपति महोदय को प्रेषित किया जाये। स्वीकृति पश्चात् ही नवीन पाठ्यक्रम लागू किया जाये।

कार्यक्रम संख्या ५.१३ सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित पत्र संख्या एफ-१-७/२०११(एससीटी.) दिनांक १ मार्च, २०१६ के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत आधार पर भेदभाव के रोकथाम के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों को विद्यापीठ में लागू करने की स्वीकृति

सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित पत्र संख्या एफ-1-7/2011(एससीटी.) दिनांक 01 मार्च, 2016 के अनुसार उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित किया है कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी के छात्रों के साथ सामाजिक मूल के आधार पर भेदभाव रोकने के लिए निम्नलिखिति निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

1. अधिकारियों / संकाय सदस्यों को अनुसूचित जाति/ जनजाति श्रेणी के छात्रों के साथ उनके सामाजिक मूल के आधार पर भेदभाव के कृत्य से बचना चाहिए।

2. विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा जातिगत भेदभाव की शिकायतों को दर्ज कराने के लिए वेबसाइट पर एक पेज का विकास करना होगा। अतः इस उद्देश्य के लिए कुलसचिव कार्यालय में शिकायत पंजिका की व्यवस्था भी की जायेगी। यदि जातिगत भेदभाव से संबंधित कोई घटना सक्षम अधिकारी के संज्ञान में आती है तो सम्बन्धित दोषी अधिकारी एवं संकाय सदस्य के खिलाफ उचित कार्यवाही की जायेगी।
3. यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई अधिकारी/संकाय सदस्य को किसी भी समुदाय या छात्रों की श्रेणी के खिलाफ भेदभाव के किसी भी प्रकार के मामले में लिप्त नहीं होना चाहिए।

विद्वत्परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित उपरोक्त निर्देशों को विद्यापीठ में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

85

कार्यक्रम संख्या ५.१४ दिनांक ८.०५.२०१६ को आयोजित संयुक्त शिक्षाशास्त्री/शिक्षाचार्य एवं विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा की पुष्टि।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चत्तर शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुपालन में चक्राक्रमानुसार दिनांक 8.5.2016 को श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ, नई दिल्ली के द्वारा शिक्षाशास्त्री/शिक्षाचार्य एवं विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु देश के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर संयुक्त परीक्षा का आयोजन किया गया । संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रत्याशियों को श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ, नई दिल्ली में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) के विभिन्न राज्यों में स्थित परिसरों में तथा राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति संचालित द्विवर्षीय शिक्षाशास्त्री/शिक्षाचार्य एवं विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

शिक्षाशास्त्री/ शिक्षाचार्य एवं विद्यावारिधि कक्षा में प्रवेश हेतु दिनांक 8.5.2016 को देश के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा का सफलतापूर्व आयोजन किया गया । विद्वत्परिषद् द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा के कुशलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने और इस सम्बन्ध में अपनाई गई की प्रक्रिया की पुष्टि की गई ।

कार्यक्रम सख्या ५.१५ डॉ. सदन सिंह लायजन आफिसर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव विद्वत्परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत ।

डा0 सदन सिंह सह प्रो0 शिक्षाशास्त्र विभाग एवं सम्पर्क अधिकारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ द्वारा कुलपति महोदय को दिनांक 9.5.2016 को पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें डा0 सदन सिंह द्वारा निम्नलिखित विन्दुओं पर विचार करने हेतु अनुरोध किया गया है।

1. विद्यापीठ में सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु स्नातक 50 प्रतिशत स्नातकोत्तर 55 प्रतिशत (एस.सी./एस.एटी.के लिए नियमानुसार शिथलनीय)एवं विद्यावारिधि या नैट ।

2. शिक्षाशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए स्नातक रूप में बी.एड. एवं स्नातकोत्तर रूप में एम.एड. माना जाये ।

3. शिक्षाशास्त्र के प्राध्यापकों के लिए शिक्षण विषय में स्नातक एवं बी.एड. के योग का औसत तथा शिक्षण विषय में स्नातकोत्तर तथा एम.एड. का औसत को ही मानक रूप माना जाये ।

4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु यू.जी.सी. एवं एन.सी.टी.ई. के मानक के अनुसार स्नातकोत्तर (एम.ए. एवं एम.एड.) 50 प्रतिशत एवं नैट या पीएच.डी. को ही मानक माना जाये ।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव पूर्णत: प्रशासनिक हैं । अत: विद्वत्परिषद् द्वारा उन पर विचार नहीं किया जा सकता है। प्रस्ताव

प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्रशासनिक नियम-अधिनियम तैयार करने हेतु गठित समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है।

कार्यक्रम संख्या ५.१६ छात्रकल्याण परिषद् के गठन हेतु नियम-परिनियम तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त विद्वत्परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

शैक्षणिक नियम परिचायिका के अनुसार विद्यापीठ के सभी छात्रो में दृढ़ संकल्प एवं निष्ठापूर्वक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास के लिए, नियमित एवं संगठित जीवन के लिए, अधिकारी, कर्मचारी एवं अध्यापक वर्ग के साथ समन्वयात्मक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए छात्रकल्याण परिषद् की स्थापना की जानी है । छात्रकल्याण परिषद् की स्थापना करने हेतु गठित समिति द्वारा छात्रकल्याण परिषद् गठन करने हेतु निम्नलिखित नियम-अधिनियम तैयार किये गये हैं।

1 प्रत्येक वर्ष में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्र/छात्राओं की जो वरीयता सूची तैयार की जाती है, उस सूची मे वरीयता के अनुसार सम्बन्धित छात्र/छात्रा को छात्रकल्याण परिषद् का विशेष सदस्य मनोनीत किया जायेगा।

2. छात्रकल्याण परिषद् के लिए मनोनीत सभी छात्र/छात्राओं को निम्नलिखित नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

* छात्रकल्याण परिषद् छात्र वर्ग की शैक्षणिक गतिविधियों से सम्बन्धित सभी प्रकार के मामलों पर नियमानुसार उचित कार्यवाही हेतु अपना प्रस्ताव लिखित रूप में अपने विभाग के विभागाध्यक्ष, संकाय-प्रमुख के माध्यम से सम्पर्क अधिकारी-छात्र शिकायत निर्वारण प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करेंगे। जो अपनी विशेष टिप्पणी के साथ सम्बन्धित प्रस्ताव को छात्रकल्याण संकाय को प्रेषित करेंगे । संकाय प्रमुख, छात्रकल्याण संकाय प्रस्तुत शिकायत की समीक्षा करने के पश्चात् नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु कुलपति महादेय/ कुलसचिव महोदय को प्रेषित करेंगे।

* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 में दिये गये सुझावों के अनुरुप छात्रों को आत्मानुशासन का पालन भी करना होगा और कक्षाओं में नियमित उपस्थिति रखनी होगी।

* छात्रों को किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर उन्हें यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी । छात्रों द्वारा अत्यन्त गम्भीर दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर प्रमाणित होने एवं अनुशासन समिति की अनुशंसा पर छात्र को छात्रकल्याण परिषद् से निष्कासित भी किया जा सकता है।

* छात्रकल्याण परिषद् यह सुनिश्चित करेगी कि कोई छात्र यदि परिसर की सम्पति का नुकसान करता है तो वह अनुशासनात्मक कार्यवाही के योग्य माना जायेगा तथा नुकसान की गई सम्पत्ति की भरपाई के लिए सम्बन्धित छात्र या छात्र-समूह जिम्मेदार होगा।

* छात्रकल्यांण परिषद् यह सुनिश्चित करेगी सभी छात्र विद्यापीठ परिसर की गरिमा को बनाए रखेंगे । किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, जो परिसर की गरिमा के अनुरूप नहीं होगा।

* परिसर में स्वयं या अन्य छात्रों के द्वारा हिंसा फैलाने, शान्ति भंग करने, अपनी बात जबर्दस्ती मनवाने का प्रयास करने पर परिसर की अनुशासन समिति उस छात्र के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है।

* छात्र कल्याण परिषद् का गठन प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रविष्ट प्रत्येक विषय के छात्रों की विगत परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित वरीयताक्रमानुसार सूची से किया जायेगा।

* छात्रकल्याण परिषद् प्रत्येक छात्र को प्रेरित करेगी कि वह विद्यापीठ द्वारा समय-समय पर छात्रों के लिए आयोजित समस्त सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों में ज्ञान वर्द्धनार्थ भाग लेंगे।

* छात्रकल्याण परिषद के गठन, संचालन एवं अन्य क्रिया-कलापों के सम्बन्ध कुलपति द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जा सकता है । नियमों में किसी विसंगति, अस्पष्टता या आवश्यकतानुसार परिषद् के गठन एवं संचालन हेतु कुलपति का निर्णय अंतिम होगा ।

* विद्यापीठ की शैक्षणिक नियम परिचायिका में निर्धारित सभी नियमों का परिपालन करना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य होगा।

* छात्रकल्याण परिषद में छात्रों की अधिकतम संख्या का निर्धारण नियमित कक्षाओं की संख्या पर आधारित होगा । अर्थात् प्रत्येक कक्षा से एक छात्र ही परिषद् का विशेष सदस्य होगा। ऐसे छात्र जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होगी वे परिषद का सदस्य बनने के योग्य नहीं होंगे।

विद्यावारिधि का छात्र अध्यक्ष विशिष्टाचार्य का छात्र उपाध्यक्ष एवं आचार्य को छात्र महामन्त्री होगा । अन्य कक्षाओं के छात्र विशेष सदस्य होंगे । सदस्यों का कार्यविभाजन कल्याणपरिषद् स्वयं अपनी बैठक में सुनिश्चित करेगा ।

कार्यक्रम संख्या ५.१७ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में विद्यापीठ में विकल्पाधरित क्रेडिट व्यवस्था के अन्तर्गत आचार्य,विशिष्टचार्य एवं

विद्यावारिधि के लिए मॉडल पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त विद्वत्परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में विद्यापीठ में विकल्पाधारित क्रेडिट व्यवस्था के अन्तर्गत आचार्य, एम.फिल्. और पीएच.डी. के लिये मॉडल पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 11.5.2016 को आयोजित की गई।

1. प्रो. हरिहर त्रिवेदी- वेदवेदांग संकाय-प्रमुख
2. प्रो. भागीरथि नन्द- साहित्य एवं संस्कृति संकाय-प्रमुख
3. प्रो. महेश प्रसाद सिलोड़ी- दर्शन संकाय-प्रमुख
4. प्रो. आर.देवनाथन- प्राचार्य रा.सं.सं.,जम्मू परिसर
5. डा. सन्तोष कुमार शुक्ला-जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली
6. डॉ. दिनेश, उपकुलसचिव (प्रशासन)
7. डॉ. शिवदत्त त्रिपाठी, विशेष कार्याधिकारी (प्रशासन)
8. डॉ. गोपीरमण मिश्र, विशेष कार्याधिकारी (परीक्षा)

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकल्पाधिरित क्रेडिट प्रणाली के लिए निर्धारित निर्देशों का गहन अध्ययन करने के पश्चात् आचार्य, विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि कक्षा के लिए विकल्पाधारित प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रारूप की संस्तुति की गई।

आचार्य

प्रथम सत्र

पत्र संख्या	विषय	अंक	क्रेडिट
1.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
2.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
3.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
4.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
5.	वैकल्पिक शास्त्रीय विषय	100	4
6.	संगणक विज्ञान	100	4
	योग	600	24

द्वितीय सत्र

पत्र संख्या	विषय	अंक	क्रेडिट
1.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
2.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
3.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
4.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
5.	वैकल्पिक शास्त्रीय विषय	100	4
योग		500	20

तृतीय सत्र

पत्र संख्या	विषय	अंक	क्रेडिट
1.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
2.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
3.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
4.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
5.	वैकल्पिक शास्त्रीय विषय	100	4
	योग	500	20

चतुर्थ सत्र

पत्र संख्या	विषय	अंक	क्रेडिट
1.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
2.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
3.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
4.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
5.	वैकल्पिक शास्त्रीय विषय	100	4
6.	संगणक विज्ञान	100	4
	योग	600	24

1. विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुसार आचार्य कक्षा में पढ़ाये जा रहे समस्त विषयों में प्रत्येक छात्र अपने मूल शास्त्रीय विषय के चार पत्रों के साथ पंचम पत्र जोकि अन्य शास्त्रीय विषयों से सम्बन्धित होगा उस में से किसी एक विषय का अपनी इच्छानुसार चयन करके अध्ययन करेगा।

2. आचार्य कक्षा के छात्रों के लिये विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुसार प्रत्येक पाठ्य विषय 4 क्रेडिट (100 अंक) का होगा जिसके लिए कक्षा में 60 घण्टे का अध्ययन-अध्यापन अनिवार्य होगा।

3. आचार्य पाठ्यक्रम चार सत्रों के होंगे, जिसमें कुल 22 प्रश्न पत्र होंगे । प्रथम और चतुर्थ सत्र में 6-6 प्रश्न पत्र होंगे तथा द्वितीय एवं तृतीय सत्र में 5-5 प्रश्न पत्र होंगे, जिसकी मूल संरचना दो प्रमुख भागों में विभक्त होगी। मुख्य विषय एवं चयनित विषय पाठ्यक्रम का प्रमुख भाग मूल शास्त्रीय विषयों का होगा । छात्र वैकल्पिक शास्त्रीय विषयों में से अपनी इच्छा एवं रुचि के अनुसार अध्ययन हेतु आवश्यक किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं ।

4. आचार्य प्रथम वर्ष प्रथम सत्र में एवं द्वितीय वर्ष के द्वितीय सत्र में संगणक विज्ञान विषय का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। संगणक विषय में छात्र का उत्तीर्ण होना आवश्यक है, किन्तु इसमें प्राप्त किये गये अंक/क्रेडिट को आचार्य के श्रेणी निर्धारण में जोड़ा नहीं जायेगा ।

विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम

विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम दो सत्रों में पूर्ण होगा। पाठ्यक्रम की संरचना विकल्पाधिरित क्रेडिट प्रणाली के अनुरूप निम्नलिखित विवरणानुसार होगी।

पत्र सं0	पाठ्यक्रम संबंधी प्रक्रिया	अंक	अंक प्रदान हेतु प्रक्रिया	क्रेडिट्स
प्रथम सत्र				
1.	स्वशास्त्रीय विषय एवं शोध सर्वेक्षण	100	लिखित परीक्षा पर आधारित	4
2.	शोध प्रविधि एवं संगणक विज्ञान	100	लिखित परीक्षा पर आधारित	4
द्वितीय सत्र				
1	स्वशास्त्रीय विषय	100	लिखित परीक्षा पर आधारित	4
2.	पाण्डुलिपि विज्ञान एवं संगणक विज्ञान	100	लिखित परीक्षा पर आधारित	4
3.	लिखित लघु शोध प्रबन्ध और उसका संगणकीय उपस्थापन	100	लिखित परीक्षा पर आधारित	4
	योग	500		20

विशेष: प्रथम सत्र की समस्त प्रक्रिया 30 दिसम्बर तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा। छात्र को प्रथम सत्र की परीक्षा में बैठने के लिए लघुशोध प्रबन्ध का विषय निर्धारण करते हुये शोध प्रारूप प्रथम सत्र की परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व जमा करना होगा। अध्ययन, लघुशोध प्रबन्ध की प्रस्तुति, लिखित शोधप्रबन्ध और परीक्षा का माध्यम संस्कृत होगा।

विद्यावारिधि

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार विद्यावारिधि उपाधि प्रदान की जायेगी जिसके लिये पंजीकृत छात्र को कम से कम दो वर्ष नियमित रूप से उपस्थित रहना होगा। विशिष्टाचार्य उत्तीर्ण छात्रों के अतिरिक्त अन्य छात्रों को षाण्मासिक पाठ्यक्रम में प्रदत्त विषयों का अध्ययन करने के उपरान्त परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही छात्र को विद्यावारिधि उपाधि हेतु प्रदत्त एवं स्वीकृत विषय पर शोध कार्य की अनुमति प्रदान की जायेगी। विद्यापीठ द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत समय-समय पर शोध कार्य का मूल्यांकन एवं शोध प्रगति की समीक्षा संकाय स्तर पर गठित शोध समीक्षा समिति द्वारा की जायेगी। शोध प्रगति संतोषजनक होने पर ही छात्र को शोध कार्य सम्पन्न करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। षाण्मासिक पाठ्यक्रम एवं शोध प्रबन्ध की भाषा संस्कृत होगी शोध प्रबन्ध को परीक्षण के लिए जमा करने से पूर्व छात्र को कम-से कम दो शोध पत्र उच्चस्तरीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करना और दो शोध लेख / पत्र राष्ट्रीय स्तर के संगोष्ठी / कार्यशाला / सम्मेलन में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। षाण्मासिक शोध पाठ्यक्रम का प्रारूप निम्नवत है।

षाण्मासिक शोध पाठ्यक्रम पत्र

संख्या	विषय	अंक	क्रेडिट
1.	शोध प्रविधि	100	4
2.	पाण्डुलिपि विज्ञान तथा शिलालेख	100	4
3.	शोध सर्वेक्षण	100	4
4.	संगणक विज्ञान	100	4
5.	स्वशास्त्रीय शोध सर्वेक्षण, नियतकार्य और उपस्थापन	100	4
	योग	500	20

समिति ने यह संस्तुत किया था कि आचार्य, विशिष्टाचार्य और विद्यावारिधि के प्रस्तावित प्रारूप विद्वत् परिषद् को विचारार्थ प्रस्तुत किये जायें तदनन्तर दो या तीन दिवसीय कार्यशाला आहूत कर विभिन्न विषयों के नामित बाह्य विशेषज्ञों में से एक बाह्य विशेषज्ञ को आमंत्रित कर विभागीय अध्ययन मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाये। शिक्षाशास्त्र विभाग विद्यावारिधि के लिए निर्धारित प्रारूप में अपने पाठ्यविषय का समायोजित करते हुये वांछित संशोधन कर विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है।

विद्वत्परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों को संज्ञान में लेते हुए विद्यापीठ में विकल्पाधारित क्रेडिट व्यवस्था के अन्तर्गत आचार्य, एम.फिल्. और पीएच.डी. के लिये मॉडल पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा तैयार आचार्य, एम.फिल्. और पीएच.डी. कक्षा के लिए तैयार मॉडल पाठ्यक्रम को स्वीकृति पद्रान की गई और यह निर्णय लिया गया गया कि सभी विभाग निर्धारित प्रारूप के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करे सम्बन्धित पाठयक्रमों को अध्ययन मण्डल द्वारा पुनरीक्षित एवं संशोधित करने के उपरान्त कुलपति को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाये जिससे अगल सत्र से इसे लागू किया जा सके। जून, 2016 में सभी विभागाध्य अपने विभागों के अध्ययन मण्डल की बैठक आहूत कर आचार्य एवं विशिष्टाचार्य के पाठ्यक्रमों को आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित, संशोधित एवं अद्यतन करने के उपरान्त कुलपति महोदय की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेंगे । कुलपति की स्वीकृति के उपरान्त संशोधित पाठयक्रमों को प्रकाशित कर शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से लागू किया जाय । ग्रीष्मावकाश में कार्य करने के लिये सम्बन्धित विभागाध्यक्षयों / अध्यापकों एवं बाह्य विषय विशेषज्ञों को नियमानुसार यात्रा-भत्ता का भुगतान किया जाय । इसकी विद्वत्परिषद् की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यक्रम संख्या ५.१८ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय ।

५.१८ (१) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा १२ बी, के अनुपालन में विभागों की संरचना पुनर्गठन एवं नवीन विभागों की स्थापना हेतु नियम तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त विद्वत्परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत :-

कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 बी, के अनुपालन में विभागों का पुनर्गठन एवं नवीन विभागों की स्थापना हेतु नियम तैयार करने हेतु निम्नलिखित सस्दयों की विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी । उक्त समिति की बैठक दिनांक 17.5.2016 को आयोजित की गई । समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभागों की संरचना के लिए निर्धारित मापदण्डों को संज्ञान में लेते हुए संलग्नक (क) के अनुसार विद्यापीठ की वर्तमान संकायों एवं विभागों का पुनर्गठन की एवं नवीन विभागों की स्थापना हेतु अनुशंसा की गई । प्रो0 बिहारी लाल शर्मा जी की जिज्ञासा पर विद्वत्परिषद् ने स्वीकार किया कि आयोग के नियमानुसार तथा आवश्यकता के आधार पर विभागों को गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवायें प्रदान की जायेंगी । डॉ0 मीनाक्षी मिश्र के सुझाव के अनुसार सामाजिक विज्ञान को सामजशास्त्र, राजनीति विज्ञान को राजनीतिशास्त्र तथा पर्यावरण विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन के रूप में रखे जाने की विद्वत्परिषद् ने सहमति व्यक्त की ।

चर्चा के प्रसंग में कुलपति ने यह स्पष्ट किया कि किसी विभाग का किसी विभाग में विलय नहीं किया जा रहा है । विभाग का पुनर्गठन विषयों के एकत्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा किया गया

77

है । वरिष्ठ विभागाध्यक्ष अपने कार्यावधितक विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे तथा अन्य विभागाध्यक्ष विषयप्रमुख के रूप में कर्यावधि तक विभागाध्यक्ष के सहयोग में कार्य करेगें । इससे प्रत्येक विषय की मर्यादा सुरक्षित रहेगी एवं उसके अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया सुचारु रूप से चलती रहेगी ।

विद्वत्परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 बी, अनुपालन में विभागों का पुनर्गठन एवं नवीन विभागों की स्थापना हेतु गठित समिति द्वारा लिए गये निम्नलिखित निर्णयों को विद्यापीठ में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

1. वर्तमान वेद एवं पौरोहित्य विभाग को एक साथ कर वेद वेदांग संकाय के अन्तर्गत वेद-पौरोहित्य विभाग स्थापित किया जाय।

2. विशिष्टाद्वैत वेदान्त व अद्वैतवेदान्त विभागों को एक साथ कर इसे वेदान्त विभाग के रूप में स्थापित किया जाय।

3. न्याय, सांख्यायोग, सर्वदर्शन मीमांसा तथा जैनदर्शन को एक साथ कर "सांख्योग, न्याय मीमांसा जैनदर्शन, सर्वदर्शन विभाग स्थापित" किया जाय।

4. वेदान्त, सांख्यायोग, न्याय, मीमांसा, जैनदर्शन सर्वदर्शनविभाग, दर्शन संकाय के अन्तर्गत रहेंगें। अध्ययन की समस्त शाखाएं पहले की तरह ही निरन्तर कार्य करेंगी और इन विषयों में नियमानुसार आचार्य पाठ्यक्रम में उपरोक्त सभी विषयों की शाखाएं भी सम्मिलित होंगी।

5. आधुनिक भाषा विभाग स्थापित किया जाय जिसके अधीन हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन, संगणक विज्ञान, शोध विषय सम्मिलित किये जाये यह विभाग नवस्थापित आधुनिक विद्या संकाय के अन्तर्गत कार्य करेगा ।

6. प्रकाशन एवं क्रय का नियन्त्रण प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होगा। इस विभाग के लिये सहायक आचार्य के वेतममान में सपांदक के पद के सृजन का प्रस्ताव यू.जी.सी. से स्वीकृत कराया जा सकता है।

7. विशेषज्ञ समिति के द्वारा निम्नलिखित नये विभागो की स्थापना की संस्तुति की गयी :-

   1. योग विज्ञान
   2. आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान
   3. शरीरीक शिक्षा
   4. पालि एवं बौद्ध दर्शन

विभागों का प्रस्तावित पुनर्गठन

	विषय	विभाग का नाम	संकाय का नाम	अध्यापक संख्या		
				आचार्य	सह-आचार्य	सहायक आचार्य
11.	वेद एवं पौरोहित्य	वेद-पौरोहित्य विभाग	वेद-वेदांग संकाय	2	2	6
12.	धर्मशास्त्र	धर्मशास्त्र विभाग	--	0 + 1*	1 + 1*	3 + 1*
13.	व्याकरण	व्याकरण विभाग	--	1	3	6
14.	ज्योतिष	ज्योतिष विभाग	--	1	2	7
15.	वास्तुशास्त्र	वास्तुशास्त्र विभाग	--	1	0 + 2*	3 + 1*
16.	पुराणेतिहास, साहित्य एवं प्राकृत	पुराणेतिहास, साहित्य एवं प्राकृत विभाग	साहित्य-संस्कृति संकाय	2	4	9
17.	अद्वैत वेदान्त, विशिष्टाद्वैत वेदान्त	वेदान्त विभाग	दर्शन संकाय	1	2	4
18.	सांख्ययोग, न्याय, मीमांसा, जैनदर्शन, एवं सर्वदर्शन	सांख्ययोग, न्याय, मीमांसा, जैनदर्शन, एवं सर्वदर्शन विभाग	--	1	2	15
19.	शिक्षाशास्त्र	शिक्षाशास्त्र विभाग	शिक्षाशास्त्र संकाय	1	4	26
20.	हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन, संगणक एवं शोध	आधुनिक भाषाएँ, सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, संगणक एवं शोध विभाग	आधुनिक विद्या संकाय	1	1 + 1*	8 + 1* पर्यावरण विज्ञान
	प्रकाशन एवं विक्रय	प्रकाशन एवं विक्रय विभाग	प्रशासन			1* सम्पादक

प्रस्तावित नये विषय एवं विभाग संकाय

	विषय	विभाग का नाम	संकाय का नाम	अध्यापक संख्या		
				आचार्य	सह-आचार्य	सहायक आचार्य
5.	योग विज्ञान	योग विज्ञान विभाग	योग एवं आयुर्वेद संकाय	1*	2*	4*
6.	आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान	आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान विभाग	योग एवं आयुर्वेद संकाय	1*	2*	4*
7.	शारीरिक शिक्षा विज्ञान	शारीरिक शिक्षा विज्ञान विभाग	आधुनिक विद्या संकाय	1*	2*	4*
8.	पालि एवं बौद्ध दर्शन	पालि एवं बौद्ध दर्शन विभाग	दर्शन संकाय	1*	2*	4*

* सृजन हेतु प्रस्तावित विषयानुसार पद एवं उनकी संख्या

75

५.१८ (२) प्रो० हरेराम त्रिपाठी, समन्वयक ईपीजी पाठशाला द्वारा प्रस्तुत (संस्कृत) प्रगति विवरण:-

मानवसंसाधन विकास मन्त्रालय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ईपीजी पाठशाला परियोजना कुलपति प्रो.रमेश कुमार पाण्डेय जी के मुख्यान्वेषयकत्व (P.I) एवं प्रो. वेम्पटिकुटुम्बशास्त्री के सह-प्रमुखान्वेषकत्व के रूप में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ को विगतवर्ष प्रदान की गयी थी, जिसके अन्तर्गत स्नाकोत्तर संस्कृत ईपाठशाला (E.pg- Pathahala for Sanskrit (M.A) के इ-पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है।

जुलाई, 2016 में स्वीकृति के अनन्तर परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया गया था। स्नातकोत्तर संस्कृत पाठ्यक्रम के लिए कुल 16 पत्र में 40 ईकण्टेट माड्यूल्स के अनुसार 640 ईकण्टेन्ट माड्यूल्स का निर्माण कार्य देश के विविध विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ के प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के समन्वयक का कार्य प्रो. हरेराम त्रिपाठी एवं सह-समन्वयक का कार्य डा. सतीश के. एस. सुदर्शनन्, एस् कर रहें हैं । वीडियों के सम्पादन का कार्य डा. सुन्दरनारायण झा तथा डा. जवाहर लाल कर रहें हैं । विद्वानों के द्वारा प्रदत हस्तलिखित लेखों का टंकण आदि कार्य इस परियोजना द्वारा ही कराया जा रहा है। विडियों रिकार्डिंग एवं इलोक्ट्रानिक एडिटिंग कार्य Nexzen- pro-Media Technology- Pvt. Ltd., Noida द्वारा किया जा रहा है। डा. नोदनाथ मिश्र, भाषा विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहे हैं नियमानुसार अभी तक 385 माड्यूल सभी चार क्वाड्रेन्ट इन्फिब्नेट गुजरात को भेजा चुका है। इस के अतिरिक्त 40 माड्यूल चार क्वाड्रेन्ट में सप्ताह के अन्तर्गत प्रेषित करने की प्रक्रिया में हैं।

अभी तक कुल 601 माडूल्यों का विडियों ग्रहण एवं ई-टेक्टस निर्माण हो चुका है, जिनके एडिटिंग कार्य सम्पन्न हो रहें हैं । जुलाई 2016 तक इस परियोजना का कार्य पूर्ण होने की संभावना है ।

विद्वत्परिषद् द्वारा संस्कृत ई-पाठशाला के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु गठित समिति के सभी सस्दयों के द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की गई।

५.१८ (३) प्रो० सुदीप कुमार जैन संकाय प्रमुख शैक्षणिक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव:-

1. समस्त कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की जो भी निर्धारित पुस्तकें हैं, उनके प्रस्तावित एडीशन का विवरण पाठ्यक्रम में दिया जाना अनिवार्य है। ताकि प्रश्नपत्र निर्धारक एवं छात्रों को निर्धारित पुस्तकों की यथार्थ जानकारी रहे।
2. यदि किसी पुस्तक का अंश निर्धारित हो, तो उसका स्पष्ट- विवरण पाठ्यक्रम में होना चाहिए।
3. किसी ग्रंथ में से चयानात्मक पद्य लिए जाते हैं, तो उन सभी पद्यों का उल्लेख तथा उनकी एक टंकित प्रति शैक्षणिक एवं परीक्षा विभाग में अनिवार्यत: जमा करायी जायें।
4. सहायक-ग्रन्थों के निर्धारिण में पाठ्यक्रम एवं प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाए। सहायक, गन्थों में किसी सुप्रसिद्ध शोध-पत्रिका के पाठ्यक्रम-विषयक विशेष- अंक का भी उल्लेख किया जा सकता है।
5. यदि इंटरनेट की विशेष साईट पर तथ्य सम्बन्धित प्रमाणित-जानकारी हो, तो उसकी तथ्यात्मक-सूचना भी पाठ्यक्रम में उल्लिखित की जा सकती है।

छात्रों की उपस्थिति से सम्बन्धित प्रस्ताव-

छात्रों की उपस्थिति के बारे में कई वार सूचनायें एवं निर्देशों के बाद भी कई अध्यापकगण समय पर उपस्थिति प्रेषित नहीं करते हैं। जिंससे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति तथा परीक्षा-सम्बन्धित-प्रक्रिया समय रहते पूर्ण नहीं हो पाती है। अत: इस बारे में व्यवस्था का निर्धारण और उसके अनिवार्यत: पालन के प्रारूप व नियमावली का निर्णय विद्वत-परिषद् द्वारा किया जाये।

इस विषय में दिनांक 22.04.2016 को सम्पन्न संकाय प्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया जा चुका. है। कि ''प्रत्येक माह के

अन्तिम-कार्यदिवस को अपराह्न (२.०० बजे ५.०० बजे तक) में सभी अध्यापक छात्रों की उपस्थिति सम्बन्धी क्रिया-कलाप कर उपस्थिति पत्रक उसी दिन विभागाध्यक्ष के पास जमा करा देंगे, जिन्हें विभागाध्यक्ष अपनी टिप्पणी के साथ संकायप्रमुख कार्यालय में अगले माह के प्रथम कार्यदिवस में निश्चित रूप से जमा करवा दें तथा सभी संकायप्रमुख उपस्थिति रिकार्ड को अधिकतम प्रत्येक माह की दूसरे कार्य-दिवस तक शैक्षणिक विभाग में अवश्य प्रेषित करें।''

उपस्थित व्यवस्था को और सुचारु करने हेतु यह सुझाव प्रस्तुत है कि संकायप्रमुख के कार्यालय में कार्यरत सहायकों द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार उपस्थिति को तैयार किया जाए:'

1. वेद-वेदांग संकाय, दर्शन संकाय एवं साहित्य एवं संस्कृति संकाय के शास्त्री कक्षा के समस्त छात्रों की उपस्थिति एक सहायक द्वारा तैयार की जाए।
2. वेद-वेदांग संकाय, दर्शन संकाय एवं साहित्य एवं संस्कृति संकाय के आचार्य कक्षा के समस्त छात्रों की उपस्थिति संकाय अनुसार तैयार की जाए।

विद्वत्परिषद् द्वारा छात्र हित को ध्यान में रखते हुए प्रो. सुदीप कुमार जैन संकायप्रमुख शैक्षणिक द्वारा उपस्थिति व्यवस्था में सुधार हेतु प्रेषित प्रस्ताव को यथावत् लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस सम्बन्ध में विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि समस्त संकायप्रमुखों को सूचना जारी कर उपस्थिति व्यवस्था में सुधार हेतु प्रस्तुत सुझावों को लागू करने हेतु आवश्यक कार्यालयीय सूचना जारी की जायं ।

५.१८ (४) संकायप्रमुख आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय द्वारा प्रेषित विद्यावारिधि पूर्ण(पीएच.डी.) शिक्षा पाठ्यक्रम सत्र-२०१६ हेतु निर्धारित प्राठ्यक्रम की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव:-

आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि विद्यावारिधि पूर्व (पीएच.डी.) शिक्षा पाठ्यक्रम (6 माह) हेतु विहित कार्य का निर्धारिण शोधार्थियों में अपेक्षित शोध कौशलों का विकास और शोध का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने की दृष्टि से किया गया है। जिससे वे प्रस्तावित क्षेत्र में गुणवत्ता के साथ शोध का नियोजन, सम्पादन एवं सम्यक् रूप से कर सके।

संकायप्रमुख द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम अवलोकन करने पर विद्वत्परिषद् द्वारा यह पाया गया कि उक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया गया अत: विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुसार आचार्य, विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि कक्षा के लिए मॉडल पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा सुझायें गये नियमों के अनुसार ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाये।

५.१८ (५) परीक्षा विभाग द्वारा विद्यावारिधि उपाधि प्रदान करने हेतु आयोजित वाक् परीक्षा के उपरान्त प्रदान विद्यावारिधि के छात्रों को उपाधि प्रदान की गई ऐसे छात्रों की सूची विद्वत्परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत ।

परीक्षा विभाग द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार विद्यावारिधि उपाधि प्रदान करने हेतु समय-समय पर आयोजित शोध छात्रों की वाक्-परीक्षा के उपरान्त विद्यावारिधि उपाधि प्रदान की जा चुकी है:-

क्र.स.	नाम	विषय	वाक् परीक्षा की तिथि
1.	प्रतिभा गौतम	पुराणेतिहास	6.10.2015
2.	सुनील कुमार	सर्वदर्शन	15.10.2015
3.	शानू जैन	शिक्षाशास्त्र	27.10.2015
4.	प्रेमलता	जैनदर्शन	06.11.2015
5.	विजय नारायण गौतम	सर्वदर्शन	19.11.2015
6.	हरीश नौटियाल	पुराणेतिहास	20.11.2015
7.	सन्नी कुमार	शुक्लयजुर्वेद	20.11.2015

8.	हरीश कुमार	पौरोहित्य	20.11.2015
9.	महेन्द्र कुमार जोशी	ज्योतिष	21.11.2015
10.	संजय कुमार मिश्र	विशिष्टाअद्वैत वेदान्त	21.11.2015
11.	खगेश्वर आचार्य	शुक्लयजुर्वेद	22.11.2015
12.	शमशेर सिंह	साहित्य	23.11.2015
13.	संगीता शर्मा	साहित्य	24.11.2015
14.	नवल ठाकुर	शिक्षाशास्त्र	24.11.2015
15.	आलोक कुमार	विशिष्टाअद्वैतवेदान्त	24.11.2015
16.	पूनम	धर्मशास्त्र	24.11.2015

उपरोक्त छात्रों को 15 वें दीक्षान्त समारोह के अवसर पर विद्यावारिधि उपाधि प्रदान की जा चुकी है। अतः विद्वत्परिषद् द्वारा उपाधि प्रदान की पुष्टि की जाती है।

५.१८ (६) डा. अनिल कुमार शास्त्री धर्म सदन कसवा पतला जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षाशास्त्री (ओ.टी संस्कृत) की बी.एड. समकक्षता निर्धारित करने हेतु कुलपति महोदय को प्रेषित पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतुः-

डा. अनिल कुमार शास्त्री धर्म सदन कसवा पतला जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षाशास्त्री (ओ.टी संस्कृत) की बी.एड. समकक्षता निर्धारित करने हेतु कुलपति महोदय को दिनांक 22.04.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि एजुकेशन डिपार्टमेन्ट चण्डीगढ़ प्रशासन की शिक्षाशास्त्री (ओ.टी. संस्कृत) एन.सी.टी.ई., जयपुर द्वारा मान्यता प्राप्त एवं बी.एड. के समकक्ष है उक्त के सन्दर्भ में डॉ. शास्त्री द्वारा अनुरोध किया है कि शिक्षाशास्त्री (ओ.टी.संस्कृत) को विद्यापीठ की शिक्षाशास्त्री उपाधि के साथ समकक्षता निर्धारित करें।

विद्वत्परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार-विर्मश करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि उपाधि की समकक्षता निर्धारित करना एक नीतिगत मामला है। अतः मामले की नियमानुसार जांच पड़ताल करने के उपरान्त ही शिक्षाशास्त्री (ओ.टी.संस्कृत) को विद्यापीठ की शिक्षाशास्त्री उपाधि के समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है। समकक्षता सम्बन्धी जांच पड़ताल करने हेतु निम्नलिखित सस्दयों की समिति गठित की जा सकती है।

70

1. प्रो. नागेन्द्र झा, शिक्षाशास्त्र विभाग, अध्यक्ष
2. प्रो. सुदीप कुमार जैन, प्राकृत विभाग, सदस्य
3. प्रो. रमेश प्रसाद पाठक, शिक्षाशास्त्र विभाग, सदस्य
4. प्रो. महेश प्रसाद सिलोड़ी, सांख्ययोग विभाग, सदस्य
5. प्रो. बिहारी लाल शर्मा, ज्योतिष विभाग, सदस्य

उक्त समिति समकक्षता सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों को संज्ञान में लेते हुए मामले की समीक्षा कर शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट कुलपति महोदय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगी।

अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सदस्यों को धन्यवाद के उपरान्त शान्ति पाठ से विद्वत् परिषद् की पंचम बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(डा. बीके. महापात्र)
कुलसचिव एवं सचिव

R.K. Pandey
(प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय)
कुलपति एवं अध्यक्ष